कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001
jdajodhpur.rajasthan.gov.in वेब साईट http://email:-jdajodhpur@rajasthan.gov.in phone no- 0291.2612086,0291.2656355 फैक्स 0291.261537

क्रमांकः– H&B/771 दिनांकः– 07/04/17

:: ई–निविदा सूचना संख्याः अभियांत्रिकी/01/2017–18 ::

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से स्टेशनरी आपूर्ति, प्रिन्टिग कार्य एवं अन्य सामग्री (ग्रोसरी आईटम) की वार्षिक दर संविदा के तहत कार्य करने हेतु संबंधित व्यवसाय में कार्यरत संस्थान/फर्मो/व्यक्ति/विक्रेता से निर्धारित प्रपत्र मे ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी। धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत पर प्राधिकरण में संवेदक द्वारा 2 प्रतिशत राशि का बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से ऑन लाईन निविदा खोलने से पूर्व निम्न विवरण अनुसार प्राधिकरण मे जमा करानी आवश्यक है।

महत्वपूर्ण दिनांको का विवरण

	विवरण	आईटम संख्या	दिनांक व समय
1.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय	01 to 03	दिनांक 10.04.2017 व समय 9.30 A.M.
2.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	01 to 03	दिनांक 02.05.2017 व समय 6.00 P.M.
3.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	01 to 03	दिनांक 10.04.2017 व समय 9.30 A.M.
4.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	01 to 03	दिनांक 02.05.2017 व समय 6.00 P.M.
5.	निविदा शुल्क,धरोहर राशि की मूल प्रति जोन कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	01 to 03	दिनांक 03.05.2017 व समय 1.30 P.M.
6.	ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	01 to 03	दिनांक 03.05.2017 व समय 4.00 P.M.

निविदा का विवरणः–

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (लाखों में)	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	जोन कार्यालय
1	स्टेशनरी आपूर्ति का कार्य (वार्षिक दर संविदा)	25.00	50,000/-	500/-	12 माह	प्रभारी अधिकारी (स्टोर)
2-	प्रिन्टिग कार्य (वार्षिक दर संविदा)	25.00	50,000/-	500/-	12 माह	प्रभारी अधिकारी (स्टोर)
3-	अन्य सामग्री (ग्रोसरी आईटम) की आपूर्ति का कार्य (वार्षिक दर संविदा)	10.00	20,000/-	500/-	12 माह	प्रभारी अधिकारी (स्टोर)

निविदा की महत्वपर्ण शर्ते निम्नानुसार हैः–

1. निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदकों को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वेबसाइट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करानी होगी।
2. निविदा की प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
3. निविदा खोलने की तिथी को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण नही खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
4. निविदादाता द्वारा निम्नलिखित राशि प्राधिकरण के जोन कार्यालय में निम्न विवरण अनुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व, जरिये डिमांड,ड्रफ्ट/बैंकर चैक से ऑनलाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि तथा समय तक जमा करवाना आवश्यक है।

क्र.सं.	शुल्क वितरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1	निविदा शुल्क	उपरोक्तानुसार	डिमाण्ड ड्रफ्ट/बैंकर चैक	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2.	धरोहर राशि	अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत	डिमाण्ड ड्रफ्ट/बैंकर चैक	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3.	ई–टेन्डररिंग प्रक्रिया शुल्क	50 लाख तक 500/– .50 लाख से उपर 1000/–	डिमाण्ड ड्रफ्ट/बैंकर चैक	M.D, RISL, JAIPUR

5. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेत मान्य (Valid) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उक्त उवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बंधित जोन अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो,तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
7. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इन्जिनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नही-कर सकेंगें। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ से सेवायें लेने से पहले अनुमति नही ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
8. निविदादाता को निविदा भरते समय साथ में निविदा शुल्क, धरोहर राशि, ई टेण्डरिंग शुल्क, Enlistment certificate o Tax Clearnce Certificate की प्रति Scan कर लगाना अनिवार्य है।
9. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.डी/जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रूपये तक की राशि के कार्यो के लिए 500/– व 50.00 लाख रूपये से अधिक राशि के कार्यो के लिए 1000/– रु की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमाण्ड ड्रफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्रफ्ट या बैंकर चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।
10. नेगोशियेशन की आवश्यकता होने पर ई–मेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।

11. निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:—

50 लाख से कम अनुमानित लागत	रूपये 500
50 लाख से 150 लाख तक अनुमानित लागत	रूपये 1000
150 लाख से 500 लाख तक अनुमानित लागत	रूपये 2000
500 लाख से अधिक अनुमानित लागत	रूपये 5000

12. संवेदक को आन लाईन निविदा के साथ संबंधित विभागीय अधिकारियो से जारी विक्रय कर क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
13. ई—टेंडरिंग के लिए निविदा दाता हेतु निर्देश:—
    - इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदा दाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेटसाईट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in से देख/ डाउनलोड कर सकते है।
    - निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट http:/www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन विविदा दाताओं के पास पूर्व में वैद्य डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नही है।
    - निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नही होगा।
    - इलेक्ट्रानिक निविदा प्रपत्रो को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।
    - कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रानिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नही होग।
    - टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।
14. प्रस्तुत की गई दरे कार्यादेश जारी करने की तिथि से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य है कार्य की मात्रा/अवधि को आवश्यकता अनुसार 50 प्रतिशत तक बढाया जा सकता है। परंतु कार्य की न्युनतम मात्रा की सीमा निर्धारित नही होगी।
15. सफल निविदादाता को धरोहर राशि के रूप मे कार्यादेश लागत का कुल 5 प्रतिशत जमा करानी होगी अमानत राशि के रूप मे जमा 2 प्रतिशत राशि का समायोजन कर लिया जायेगा।
16. नवीनतम बिक्री कर चुकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
17. संलग्न प्रारूप एसआर 11 की पूर्ति (Duly) अनिवार्य है।
18. क्रय की मात्रा अनुमानित मात्रा से कम/अधिक भी हो सकती है, सामग्री का कय वर्ष पर्यन्त आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
19. स्वीकृति पत्र (LOA) जारी होने के बाद एक सप्ताह के भीतर अनुबंध (निर्धारित नोन ज्युडिसियल स्टाम्प पर) तथा नियमानुसार अमानत राशि जमा करवानी अनिवार्य है।
20. आपातकालीन स्थिति मे संवेदक को कार्य करने के लिये Short Notice पर कार्य के लिये तलब किया जा सकता है। इसके असफल होने पर निष्पादित कार्य के लिए स्वीकृत दर की दोगुनी दर से दण्डात्मक राषि की वसुली होगी।
21. सलंग्न परिशिष्ठ ए से डी की पूर्ति करके संवेदक को प्रत्येक पृष्ठ पर लिखित में स्वीकारोक्ति स्वरूप हस्ताक्षर करने अनिवार्य है। इसके अभाव मे निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
22. दरे FOR प्रस्तुत करे।
23. दरे समस्त करो सहित प्रस्तुत करनी होगी जिसमें करो की दर मय राशि का उल्लेख किया जावे।

अधिशाषी अभियंता (जोन—मुख्यालय)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांक : 1-168 | 772 - 800

दिनांक : 07/04/17

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव,अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. निजी सचिव,आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. सहायक लेखाधिकारी,प्रथम/द्वितीय/तृतीय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि./जो.वि.वि.नि.लि./जन स्वा.अभि. विभाग, जोधपुर।
9. अधिशाषी अभियंता जोन— पूर्व/पश्चिम/दक्षिण /उतर /आर.ओ.बी/पी.एच.ई./विद्युत, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
10. कैशियर /नोटिस बोर्ड।
11. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा का http://www.eproc.rajsathan.gov.in,www.jodhpurjda.org एवं www.sppp.raj.nic.in की वेबसाईड पर तुरन्त प्रदर्शित (Up Load) करे।
13. ठेकेदार संघ, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर/ जोधपुर ठेकेदार संघ/ऑल राजस्थान कान्ट्रेक्टर ऐसोसियेशन /ठेकेदार संघ सिवील जे.डी.ए./पी.डब्ल्यू.डी ठेकेदार संघ/.................................।

अधिशाषी अभियंता (जोन—मुख्यालय)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर